एफ.सं.डब्ल्यू-02/0003/2014-डीपीई(मजूरी कक्ष)-जीएल-XV/2024

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 22 जुलाई, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- वर्ष 1987 और 1992 के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) में औद्योगिक महंगाई वेतनमान के अनुरूप बोर्ड स्तर के/बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को महंगाई भत्ते का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 19.07.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/86-डीपीई (मजूरी कक्ष) के पैरा 4 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है, जिसमें बोर्ड स्तर के कार्यपालकों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध-III में वर्णित महंगाई भत्ता योजना के अनुसार, महंगाई भत्ते की किश्तें तिमाही औसत सूचकांक 1099 (1960=100) से अधिक मूल्यवृद्धि के आधार पर प्रति वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्तूबर से देय होंगी।

2. इस विभाग के दिनांक 11.01.2024 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में, वर्ष 1992 के वेतनमान के आईडीए पैटर्न के अनुसार सीपीएसईज़ बोर्ड स्तर के तथा बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय मंहगाई भत्ते दरें निम्नानुसार संशोधित की जा सकती है:-

जिस तारीख से देय है : 01.07.2024

मार्च, 2024 से मई 2024 की तिमाही के लिए औसत एआईसीपीआई (1960=100) 9164 है। प्रतिशत में लिंक प्वाइंट पर वृद्धि [(9164-1099) /1099 *100] 733.8% है। विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए महंगाई भत्ते 01.07.2024 से प्रभावी हैं।

विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए महंगाई भत्ता दरें

मूल वेतन प्रतिमाह	**महंगाई भत्ते की दर**
3500 रुपए तक	वेतन का 733.8% परन्तु न्यूनतम 16130/- रूपए
3500 रुपए से अधिक तथा 6500 रुपए तक	वेतन का 550.3% परन्तु न्यूनतम 25683/- रूपए
6500 रुपए से अधिक तथा 9500 रुपए तक	वेतन का 440.3% परन्तु न्यूनतम 35770/- रूपए
9500 रुपए से अधिक	वेतन का 363.9% परन्तु न्यूनतम 41829/- रूपए

3. महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए तथा 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए ।

4 वर्ष 1987 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का आईडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले बोर्ड स्तर के तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को दिनांक 01.07.2024 से देय औद्योगिक मंहगाई भत्ते की राशि पुरानी पद्धति के निष्प्रभावन के अनुसार 2.00 रुपए प्रति अंक की वृद्धि की दर से 29 अंकों की वृद्धि के लिए 58/- रुपए तथा एआईसीपीआई 9164 पर ***16917.75 रुपए*** मंहगाई भत्ता देय होगा।

5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए पूर्वगामी को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसईज़ के ध्यान में लाएं।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रफुल्ल

(डॉ. पी.के. सिन्हा)
उप-सचिव भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार ।
3. व्यय विभाग, स्था.-।। शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

प्रफुल्ल

(डॉ. पी.के. सिन्हा)
उप-सचिव भारत सरकार